

पत्र संख्या -फार्म अनु0 -447 आ0घो0प0सं0-2017-18 /

189 / 1718039

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 15 सितम्बर:: 2017

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों, जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई है, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	व्यापारियों का नाम व पता	फार्मों की संख्या	आयात घोषणा पत्रों /ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	सर्वश्री भदौरिया इलेक्ट्रिकल्स 121 बाहर गेट खण्डेराव गेट, झाँसी।	01	DD-1812693
2-	सर्वश्री भिलवार ड्रग एजेन्सीज, दीक्षित का बाग सराफा बाजार, झाँसी।	01	EE-3043794
3-	सर्वश्री संतोष ब्रिकफील्ड दाउतमई कमंगलपुर कौशाम्बी।	01	DD-1280730
4-	सर्वश्री शिवांगी इन्टरनेशनल A-2016, मेरठ माल दिल्ली रोड मेरठ।	01	CC-4957857
5-	सर्वश्री श्री कृष्णा किड्स वीयर सिविल लाईन्स, बिजनौर।	01	CC-4531288
6-	सर्वश्री श्री कृष्णा शोरूम, सिविल लाईन्स, बिजनौर।	01	EE-0809370

(राजेश कुमार जैन)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में करने का कष्ट करें।

- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें।
- 3- डिप्टी कमिश्नर (उ०न्याय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ।
- 4- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेंट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं० (विधि -2 सत्यापन) (85-86)-201/बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म-31(91-92)-फार्म मुद्रण -865 / बिक्रीकर दिनांक 02-11-91 के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/ स०द०, वा० क० उत्तर प्रदेश।
- 6- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
- 7- विधि / मैनुअल / नई इकाई वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 8- सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय।
- 9- पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा।
- 10- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर० -15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- 11- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।
- 12- महालेखाकार (कार्मिशयल एवं रिसीट आडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 13- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(Handwritten Signature)

(राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल)
ज्वाइंट कमिश्नर (फार्म)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

